कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग,

फायर विग्रेड कैम्पस, लोदीपुर, पटना।

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1 निविदादाता का नाम
2 परिमाण निपत निकी का अंतिम तिथि और समय
3 निविदा खोलने की तिथि और समय
4 निविदा सूचना की तिथि और समय
5 परिमाण निपत निधि का स्थान एवं कार्यालय

कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना।
12.12.2017 को अपराह्न 01:00 बजे तक।
13.12.2017 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
13.12.2017 को 03:30 बजे अपराह्न ।
(क) अधिशाषी अभियंता, केन्द्रीय अंचल,
पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।
(ख) कार्यपालक अभियंता नई राजधानी पथ प्रमंडल
पथ निर्माण विभाग पटना का कार्यालय।
(ग) सभी सहायक अवर प्रमंडल पदाधिकारी, नई राजधानी पथ अवर प्रमंडल सं० 1, 2 एवं
पथ, पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।
कार्यालय के नोटिस बोर्ड।

6 निविदा प्राप्ति का स्थान एवं कार्यालय
7 कार्य का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(लाख में)	अमानत की राशि (रु० में)	परिमाण निपत का मूल्य (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि	आरक्षण
1	Beautification of I.G.P.G. Link Road (D) for the year 2017-18.	₹ 1488000/-	₹ 29800/-	₹2500/-	21 दिन	अनारक्षित
2	F/R work of Kankarbagh Section office with Godown for the year 2017-18.	₹98254/-	₹2000/-	₹500/-	30 दिन	अनुसूचित जाति
3	Renovation of Portico and Garrage of Divison Office and Quarter Section in the campus of Road Capital Division for the year 2017-18.	₹1053921/-	₹21100/-	₹ 2500/-	30 दिन	अनारक्षित

विशेष प्रावधान

1 पथ निर्माण विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधित अहमान प्रवीणीकृत संवेदक ही निविदा में भाग ले सकेंगे।
2 कार्य के प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है, तदनुसार अमानत की राशि एवं परिमाण निपत के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है निर्गत किये जाने वाले परिमाण निपत निविदा कार्य जारी में अंकित प्राक्कलित राशि, अमानत की राशि एवं परिमाण निपत का मूल्य एवं आरक्षण अंतिम ही अंतिम और मान्य होगा।
3 निविदा के साथ में निम्न सूचनाएँ एवं कागजात जमा करना अनिवार्य होगा ।
(क) अमानत की राशि जो पोस्ट ऑफिस एवं डिमांड ड्राफ्ट, राष्ट्रीय बैंक या आवश्यक निर्गम के रूप में बैंक गारंटी एक्सक्लिसिव राशि एक करोड़ एवं उससे की स्थिति में) जो कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पक्षधन से देय होगी
(ख) पोस्ट ऑफिस एवं डिमांड / राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र निर्गत विभाग द्वारा के अलावा किसी अक्षपर का बना किया हुआ होना चाहिए, हस्तलेखी मान्य।
(ग) संवेदक कार्य पंजीयन तथा डिजेबिलिटी की अवधि को प्रमाण करना होगा।
(घ) फर्म रजिस्ट्रेशन के पूर्ण प्रमाण जैसे व्यक्तिगत फर्म्स, पार्टनरशिप, प्रा० लि० संस्था आदि।
(ङ) अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र, नेट नम्बर सेल टैक्स तथा चुकता पत्र जमा करना आवश्यक आदि।
(च) निबंधित कार्य हेतु अनुमत प्राप्त संवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4 निविदादाताओं को परिमाण निपत में कार्य करने का दर प्रतिशत से अंकित करना होगा। कम या परिमाण निपत दर पर करने हेतु अंकित करना होगा।
5 निविदा में संकलित कार्य के लिए समुचित श्रेणी के संवेदक भी विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं उपबन्धों की मांग पत्र के भुगतान के निम्न निविदा में भाग ले सकेंगे। कार्य आवंटन के समय उक्त शर्तों एवं प्लान का अवलोकन निम्नांकित पर उपस्थित संवेदक के निम्न पर आवश्यकता के अनुसार हमेशा कार्य की क्वालिटी संवेदक के लिए से किया जायेगा।
6 यदि निविदा अमान्य होगा। यदि ही किया कारण बताये एक या सभी निविदाओं को रद्द करने अथवा कोई एक से अधिक संवेदकों के बीच बाँटने की अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
7 परिमाण निपत संवेदकों के पास संवेदकों को परिमाण निपत का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) अद्यतन निर्धारण प्रमाण-पत्र, अद्यतन आयकर एवं बिक्री कर चलता प्रमाण-पत्र अद्यतन बिक्री कर निर्धारण प्रमाण-पत्र, एवं सेवर रजिस्ट्रेशन एवं जाँच प्रमाण पत्र वैसे आरक्षण मामले में) की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा अन्यथा परिमाण निपत निर्गत नहीं किया जायेगा।
8 परिमाण निपत का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमंडल पटना के पक्षधन से देय बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा पटना में भुगतान हो।
9 संवेदकों की पहचान व निविदाएं आमंत्रित की जा रही है। विभाग में आवेदन की जाँचोपरान्त के आधार पर ही पात्रतानिकता के अनुरूप संवेदकों से कार्य करवाया जायेगा और कराये गये कार्यों का भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में संवेदकों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
10 पात्र संवेदकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अगर एकरारनामा नहीं किया जाता है तो निविदा के प्राप्त संवेदक अमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं उसे निविदा से बाहर कर दिया जायेगा।
11 एक बार निविदा में भाग लेने के बाद यदि निविदादाता निविदा प्राप्ति के अंदर कार्य करने में असमर्थता पाकर की जाती है तो निविदा के प्राप्त संवेदक अमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पूरा निविदा की स्थिति में उसे निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
12 संवेदक निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर लें। निविदा प्राप्ति के बाद जाँच के आधार पर ही संवेदक कार्यपूर्ण करने के लिए सहमत होंगे।
13 कोई कारण बताये बिना भी ली जायेगी, यह अवधारणा होगी कि कार्य समय पर पूर्ण हो। समय पर असफल रूप से कार्य पूर्ण नहीं होने पर निबंधन कालीकृत कर जायेगी।
14 निर्धारित निविदा की अवधि बढ़ाई जाने की स्थिति में परिमाण निपत निधि या निविदा की निधि अगले दिन किया जायेगा।
15 परिमाण निपत की दर से 10 % से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निविदाकार की निविदा अमान्य होगी।
16 निबंधन का आवेदन पत्र देना होगा। यह सिर्फ आरक्षण मामले में अनिवार्य
17 ₹० ... लाख से अधिक का कार्य वर्षा तक इस वित्तीय वर्ष में नहीं आवंटित है, का आवेदन पत्र देना होगा।
18 निबंधन अवधारणा के लिए अधिशाषी अभियंता के कार्यालय में कार्य-दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
नई राजधानी पथ प्रमंडल
पथ निर्माण विभाग, पटना

25-11-17